—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगराज सिंह भारी —— प्रार्थीया
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल —— अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 18/3/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री जगराज सिंह भारी द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि उक्त अनवान का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रार्थना पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान पक्षकारान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि अप्रार्थी सं.1, 2 के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके —ए के खाता सं, 33/25 के प.नं. 25/237 (1) किला नं. 1 ता 4 5/1, 5/2, 6/1, 612, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/2, 25/2, प.नं. 25/238 (15) किला नं. 4, 5/1, 5/2, 5/3, प.नं. 26/238 (14) किला नं. 1 ता 4, 8 ता 10 की कुल 8.602 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 का 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/60 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न है।

यह कि अप्रार्थी सं.1, 2 के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 33 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 114/27 के प.नं. 32/229 (8) किला नं. 14/2, 15, 16, 17/2, 24, 25, प.नं. 32/230 (17) किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, प.नं. 33/229 (7) किला नं. 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 2012, 21/1, 21/2, 22 ता 25, प.नं. 33/230 (18) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ता 10 की कुल 8.438 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 का 1406/21095 हिस्सा, अप्रार्थी सं.2 का 703/42190 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके–ए के खाता सं. 33/25 के प.नं. 25/237 (1) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/2, 25/2, प.नं. 25/238 (15) किला नं. 4, 5/1, 5/2, 5/3, प.नं. 26/238 (14) किला नं. 1 ता 4, 8 ता 10 की कुल 8.602 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में प्रार्थीया के भाई अनमोल व प्रार्थीया की बहन रेखा के नाम 1/60 – 1/60 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था व इसी प्रकार से चक 33 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 114/27 के प.नं. 32/229 (8) किला नं. 14/2, 15, 16, 17/2, 24, 25, प.नं. 32/230 (17) किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, प.नं. 33/229 (7) किला नं. 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, प.नं. 33/230 (18) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10 की कुल 8.438 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में प्रार्थीया के भाई अनमोल व प्रार्थीया की बहन रेखा के नाम 703/42190 – 703/42190 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। यह कि प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा के नाम दोनो चको में दर्ज हिस्सा का हक त्याग दिनांक 22.08.2024 को अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पक्ष में जरिये पंजीयन दस्तावेज दस्तबरदारी के हक त्याग करवा लिया। प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा की ईच्छा शुरू से ही अपने हक व हिस्से का हक त्याग प्रार्थीया के पक्ष में करने की रही है परन्तु अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थीया का हक व हिस्सा मारने की नियत से प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा को बिना बताये उनके हक व हिस्सा का हक त्याग अपने पक्ष में करवा लिया। कानूनन दस्तबरदारी में यह प्रावध न है कि कोई सह हिस्सेदार अपने हक व हिस्सा का त्याग चुनिन्दा व किसी भी एक सह हिस्सेदार के पक्ष में त्याग नही कर सकता। यदि ऐसा कोई हक त्याग होता है तो वह बचे हुए सह हिस्सेदारो के पक्ष में व. हि. व. माना जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया प्रशनगत दस्तबरदारी के आधार पर अपने नाम से ब.हि. ब. हक व हिस्सा पाने की अधिकारणी है। यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज जरिये दस्तबरदारी प्राप्त दोनो चको कृषि भूमि की कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा बनता है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं.1 द्वारा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 22.08.2024 को प्राप्त कृषि भूमि में अप्रार्थी सं.1, 2 के साथ प्रार्थीया का ब.हि.ब. हक व हिस्सा निहित है परन्तु प्रार्थीया को प्राप्त होने वाला हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पडता है इसलिये प्रार्थीया अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की हकदार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 जो कि प्रार्थीया की माता है तेज तरार व शातिर महिला है जो अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीया का हक व हिस्सा मारने की नियत से अपने नाम दर्ज कृषि भूमि पर ऋण लेकर ऋण की राशि अपनी शोक पूरे करने में उडा दिये है व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की फिराक में है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

इसलिये प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मुन्तकिल न करे व प्रार्थीया के अधिकारों के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अप्रार्थी के विरुद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके –ए के खाता सं. 33/25 के प.नं. 25/237 (1) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/2/2512, प.नं. 25/238 (15) किला नं. 4, 5/1, 5/2, 5/3, प.नं. 26/238 (14) किला नं. 1 ता 4, 8 ता 10 की कुल 8.602 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज 1/30 हिस्सा व चक 33 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 114/21 के प.नं. 32/229 (8) किला नं. 14/2, 15, 16, 17/2, 24, 25, प.नं. 32/230 (17) किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, प.नं. 33/229 (7) किला नं. 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 2012, 21/1, 21/2, 22 ता 25, प.नं. 33/230 (18) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10 की कुल 8.438 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज 1406/21096 हिस्सा को अन्य व्यक्ति को रहन बेय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थीया के अधिकारों के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थीया अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 21.10.25 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा पर जारी की गई है।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता वाद पत्र में प्रस्तुत आये जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जबाव प्रार्थीना पत्र निम्न प्रकार–यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कथन उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने की हद तक स्वीकार है शेष कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल वाद प्रथम दृष्टया ही खरिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित वंशावली सही दर्शायी गई है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। चक 23 जे आर के (ए) के खाता सं. 33/25 के प. न. 25/237 व प. न. 25/238 तथा प. न. 26/238 की 8.602 हैक्टर संयुक्त खाते की भूमि मे प्रार्थीया, अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अनमोल व रेखा के नाम 1/60–1/60 हिस्सा भूमि दर्ज थी। उक्त भूमि मे अनमोल व रेखा के नाम दर्ज हिस्सा उनके द्वारा अपनी माता अप्रार्थी सुशीला देवी को जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.08.2024 दे दिया गया। उक्त भूमि जरिये दस्तबरदारी अप्रार्थी सुशीला देवी के नाम दर्ज रिकार्ड होने से दिनांक 17. 12.2024 को प्रार्थीया सुनीता ने अपने नाम दर्ज 1/60 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 सुशीला ने अपने नाम दर्ज भूमि मे से 1/60 हिस्सा जरिये पंजीकृत बेयनामा दिनांक 17.12.2024 को रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को विक्रय करके उसका अधिपत्य खरीददार को सुपुर्द कर दिया गया तथा दिनांक 10.10.2025 को अप्रार्थी सं. 1 सुशीला ने अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की शेष भूमि 1/30 हिस्सा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

से बैयनामा रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को विक्रय करके उसका अधिपत्य खरीददार को सुपुर्द कर दिया गया व दिनांक 15.10.2025 को रेणु पुत्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की भूमि मे अपना 1/60 हिस्सा जरिये बैयनामा रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को विक्रय करके उसका अधिपत्य खरीददार को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त समस्त भूमि पर बतौर क्रेता रानी देवी का स्वामित्व व अधिपत्य चला आ रहा है। चक 33 एल एल डब्ल्यू के खाता सं. 114/27 प. न. 32/229 व प. न. 32/230 तथा प. न. 33/229 एवं प. न. 33/230 की 8.438 हैक्टर संयुक्त खाते की भूमि मे से दिनांक 17.12.2024 को प्रार्थीया सुनीता ने जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी अपना समस्त हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 सुशीला के पक्ष मे त्याग कर दिया। प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत भूमि मे जरिये दस्तबरदारी अपने हक व हिस्से का त्याग कर दिया गया होने से प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि मे किसी रूप मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा होने से व प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भाग पर अधिपत्य नही रहा होने से प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि मे कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 मे वर्णित कथन प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा द्वारा अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के व 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि मे अपने नाम दर्ज हिस्सा का हकत्याग दिनांक 20.08.2024 को अप्रार्थी के पक्ष मे जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी किये जाने के कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा की इच्छा शुरू से ही अपने हक व हिस्से का त्याग प्रार्थीया के पक्ष मे करने की रही हो बल्कि मुझ अप्रार्थी सं. 1 के पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपनी सभी नाबालिग सन्तानो का भरण पोषण व लालन पालन मुझ अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किया गया होने से मुझ अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र अनमोल व पुत्री रेखा ने अपने हक व हिस्से की भूमि मुझ अप्रार्थी सं. 1 को दी। प्रार्थीया का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा मारने की नियत से प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा को बिना बताये उसके हक व हिस्सा का त्याग अपने पक्ष मे करवाया हो बल्कि अनमोल व रेखा द्वारा अपनी स्वैच्छा से रोबरू गवाहान अपना हक व हिस्सा दिनांक 20.08.2024 को मुझ अप्रार्थी सं. 1 को दिया गया है। प्रार्थीया ने अपने भाई अनमोल व बहन रेखा की तरह दिनांक 17.12.2024 को अपनी संयुक्त खाते की चक 33 एल एल डब्ल्यू की 8.438 हैक्टर भूमि मे अपना हक व हिस्सा दिनांक 17.12.2024 की दस्तबरदारी के जरिये मुझ अप्रार्थी सं. 1 को दिया गया है तथा चक 23 जे आर के की 8.602 हैक्टर भूमि मे 1/60 हिस्सा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 17.12.2024 को मुझ अप्रार्थी सं. 1 के साथ संयुक्त

पंजीकृत बैयनामा श्रीमति रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा को विक्रय करके उसका अधिपत्य क्रेता रानी देवी को सुपुर्द कर दिया गया। प्रार्थीया की बहन रेणु ने भी अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की भूमि को दिनांक 15.10.2025 को जरिये पंजीकृत बैयनामा श्रीमति रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा को विक्रय करके उसका अधिपत्य क्रेता रानी देवी को सुपुर्द कर दिया गया।

मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने अपने को जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई अनमोल व रेखा से भूमि चक 23 जे आर के की भूमि का दिनांक 10.10.2025 को जरिये पंजीकृत बैयनामा श्रीमति रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा को विक्रय करके

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रैंकल अग्रिमत्त केता रानी देवी को सुपुर्द कर दिया गया। चक 23 जे आर के की भूमि मे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के परिवार का किसी भी रूप मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। चक 23 जे आर के की भूमि मे सहखातेदार आदराम, दयाराम, नितिन, प्रवीण कुमार, पवन कुमार, पाना देवी, बनवारीलाल, मन्जू, मनोहरलाल, श्रवण कुमार की भान्ति केता रानी देवी उक्त वर्णित भूमि की जरिये पजीकृत बैयनामा खरीद किये जाने के पश्चात से स्वामी हो चुकी है। चक 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि मे से प्रार्थीया अपना हक व हिस्सा जरिये पजीकृत दस्तबरदारी मुझ अप्रार्थी सं. 1 को दे चुकी है व प्रार्थीया के भाई अनमोल व कंचन रेखा भी उक्त चक की भूमि मे अपना हक व हिस्सा जरिये पजीकृत दस्तबरदारी मुझ अप्रार्थी सं. 1 को दे चुकी है। चक 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि मे प्रार्थीया का किसी भी रूप मे हक व हिस्सा शेष नही है। चक 33 एल एल डब्ल्यू की सायुक्त खाते की भूमि के आदराम, दयाराम, प्रवीण कुमार, पवन कुमार, पाना देवी, बनवारीलाल, मन्जू, मनोहरलाल, श्रवण कुमार, सरोज व रेणु की भान्ति अप्रार्थी सं. 1 भी उक्त भूमि की सहखातेदार है। प्रार्थीया का प्रश्नगत दोनो चको की भूमि मे किसी भी रूप मे हक व हिस्सा निहित नही है तथा न ही प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग कब्जा काश्त है। प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि मे किसी भी रूप मे अपने नाम व हिस्सा बराबर हक व हिस्सा पाने की अधिकारीणी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार प्रार्थीया ने दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि में किसी भी रूप मे 1/3 हिस्सा अथवा अन्य कोई हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि मे किसी भी रूप मे कोई हक व हिस्सा निहित नही रह होने से व प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नही होने से प्रार्थीया के हितो पर किसी भी रूप मे कोई विपरीत प्रभाव नही पड रहा है तथा न ही प्रार्थीया ऐसे किन्ही अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 8 मे वर्णित कथन जिस प्रकार प्रार्थीया ने दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने मुझ अप्रार्थी सं 1 जो कि ग्रामिण परिवेश की साधारण महिला है को लाछित करने के आशय से उस पर मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात पार्थीया का लालन पालन भी मुझ अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किया गया है। मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी सन्तानो का पालन पोषण व उनकी शिक्षा दीक्षा व परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू तथा अपनी सन्तानो की शादी हेतू अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की भूमि जरिये पजीकृत बैयनामा श्रीमति रानी देवी को विक्रय की है। प्रार्थीया एक चतूर महिला है जो मुझ अप्रार्थी सं. 1 जो कि चक 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि की रिकार्डड खातेदार है को अपने हिस्सा की भूमि का उपयोग व उपभोग करने मे व्यवधान पैदा करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया मुझ अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया के पक्ष किसी भी रूप मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू नही है बल्कि इसके विपरीत यदि मुझ अप्रार्थी सं. 1 जो कि प्रश्नगत भूमि की रिकार्डड खातेदार है व मुझ अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि उसको उसके पति से विरासतन प्राप्त हुई है तथा अपनी सन्तानो से जरिये हकत्याग प्राप्त हुई होने के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी किये जाने से मुझ अप्रार्थी सं. 1 प्रश्नगत भूमि मे अपने हिस्से की भूमि का मनचाहा उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो जावेगी जिसकी किसी भी रूप मे पूर्ति की जानी सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया किसी भी प्रकार को कोई स्थगन आदेश मुझ अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पुनः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुझ अप्रार्थी सं. 1 की हद तक अस्वीकार कर खारिज किये जाने की कृपा की जावे ।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जबाव निम्न प्रकार –यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कथन उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय प्रस्तुत किये जाने की हद तक स्वीकार है शेष कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल वाद प्रथम दृष्टया ही खरिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित वंशावली सही दर्शायी गई है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है । चक 23 जे ओर के (ए) के खाता सं. 33/25 के प. न. 25/237 व प. न. 25/238 तथा प. न. 26/238 की 8.602 हैक्टर सयुक्त खाते की भूमि मे प्रार्थीया, अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अनमोल व रेखा के नाम 1/60–1/60 हिस्सा भूमि दर्ज थी। उक्त भूमि मे अनमोल व रेखा के नाम दर्ज हिस्सा उनके द्वारा अपनी माता अप्रार्थी सुशीला देवी को जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.08.2024 दे दिय गया। उक्त भूमि जरिये दस्तबरदारी अप्रार्थी सुशीला देवी के नाम दर्ज रिकार्ड होने से दिनांक 17.12. 2024 को प्रार्थीया सुनीता ने अपने नाम दर्ज 1/60 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 सुशीला ने अपने नाम दर्ज भूमि मे से 1/60 हिस्सा जरिये पंजीकृत हैनामा दिनांक 17.12.2024 को रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को विक्रय करके उसका अधिपत्य खरीददार को सुपूर्द कर दिया गया तथा दिनांक 10.10.2025 को अप्रार्थी सं. 1 सुशीला ने अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की शेष भूमि 1/30 हिस्सा का बैयनामा रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को विक्रय करके उसका अधिपत्य खरीददार को सुपूर्द कर दिया गया व दिनांक 15.10.2025 को रेणु पुत्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की भूमि मे अपना 1/60 हिस्सा जरिये बैयनामा रानी देवी पत्नी पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को विक्रय करके उसका अधिपत्य खरीददार को सुपूर्द कर दिया गया। उक्त समस्त भूमि पर बतौर क्रेता रानी देवी का स्वामित्व व अधिपत्य चला आ रहा है। चक 33 एल एल डब्ल्यू के खाता सं. 114/27 प. न. 32/229 व प. न. 32/230 तथा प. न. 33/229 एव प. न. 33/230 की 8.438 हैक्टर सयुक्त खाते की भूमि मे से दिनांक 17.12.2024 को प्रार्थीया सुनीता ने जरिये पजीकृत दस्तबरदारी अपना समस्त हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 सुशीला के पक्ष मे त्याग कर दिया। प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत भूमि मे जरिये दस्तबरदारी अपने हक व हिस्से का त्याग कर दिया गया होने से प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि मे किसी रूप मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा होने से व प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भाग पर अधिपत्य नही रहा होने से प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि मे कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 मे वर्णित कथन प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा द्वारा अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के व 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि मे अपने नाम दर्ज हिस्सा का हकत्याग दिनांक 22.08.2024 को अप्रार्थी के पक्ष मे जरिये पजीकृत दस्तबरदारी किये जाने के कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा की इच्छा शुरू से ही अपने हक व हिस्से का त्याग प्रार्थीया के पक्ष मे करने की रही हो बल्कि अप्रार्थी सं. 1 के पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपनी सभी नाबालिक सन्तानो का भरण पोषण व लालन पालन अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किया गया होने से अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र अनमोल व पुत्री रेखा ने अपने हक व हिस्से की भूमि

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी सं. 1 को दी। प्रार्थीया का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा मारने की नियत से प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा को बिना बताये उसके हक व हिस्सा का त्याग अपने पक्ष में करवाया हो बल्कि अनमोल व रेखा पीलीबंगा द्वारा अपनी स्वैच्छा से रोबरू गवाहान अपना हक व हिस्सा दिनांक 22.08.2024 को अप्रार्थी सं. 1 को दिया गया है। प्रार्थीया ने अपने भाई अनमोल व बहन रेखा की तरह दिनांक 17.12.2024 को अपनी सयुक्त खाते की चक 33 एल एल डब्ल्यू की 8.438 हैक्टर भूमि मे अपना हक व हिस्सा दिनांक 17.12.2024 की दस्तबरदारी के जरिये अप्रार्थी सं. 1 को दिया गया है तथा चक 23 जे आर के की 8.602 हैक्टर भूमि मे 1/60 हिस्सा भूमि जरिये पजीकृत बैयनामा दिनांक 17.12.2024 को अपनी माता अप्राथी सं. 1 के साथ सयुक्त रूप से जरिये पजीकृत बैयनामा श्रीमति रानी देवी पत्नी पूर्णाराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा को विक्रय करके उसका अधिपत्य क्रेता रानी देवी को सुपूर्द कर दिया गया। प्रार्थीया की बहन रेणु ने भी अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की भूमि को दिनांक 15.10.2025 को जरिये पजीकृत बैयनामा श्रीमति रानी देवी पत्नी पूर्णाराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा को विक्रय करके उसका अधिपत्य क्रेता रानी देवी को सुपूर्द कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने को जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई अनमोल व रेखा से भूमि चक 23 जे आर के की भूमि का दिनांक 10.10.2025 को जरिये पजीकृत बैयनामा श्रीमति रानी देवी पत्नी पूर्णाराम जाति कुम्हार निवासी 35 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा को विक्रय करके उसका अधिपत्य क्रेता रानी देवी को सुपूर्द कर दिया गया। चक 23 जे आर के की प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के परिवार का किसी भी रूप मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। चक 23 जे आर के की भूमि मे सहखातेदार आदराम, दयाराम, नितिन, प्रवीण कुमार, पवन कुमार, पाना देवी, बनवारीलाल, मन्जू, मनोहरलाल, श्रवण कुमार की भान्ति क्रेता रानी देवी उक्त वणित भूमि की जरिये पजीकृत बैयनामा खरीद किये जाने के पश्चात से स्वामी हो चूकी है। चक 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि मे से प्रार्थीया अपना हक व हिस्सा जरिये पजीकृत दस्तबरदारी अपनी माता अप्रार्थी सं. 1 को दे चूकी है व प्रार्थीया के भाई अनमोल व बहन रेखा भी उक्त चक की भूमि मे अपना हक व हिस्सा जरिये पजीकृत दस्तबरदारी अप्रार्थी सं. 1 को दे चूकी है। चक 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि मे प्रार्थीया का किसी भी रूप मे हक व हिस्सा शेष नही है। चक 33 एल एल डब्ल्यू की सयुक्त खाते की भूमि के आदराम, दयाराम, प्रवीण कुमार, पवन कुमार, पाना देवी, बनवारीलाल, मन्जू, मनोहरलाल, श्रवण कुमार, सरोज व सुशीला की भान्ति अप्रार्थी सं. 2 भी उक्त भूमि की सहखातेदार है। प्रार्थीया का प्रश्नगत दोनो चको की भूमि मे किसी भी रूप मे हक व हिस्सा निहित नही है तथा न ही प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग कब्जा काश्त है। प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि मे किसी भी रूप मे अपने नाम ब हिस्सा बराबर हक व हिस्सा पाने की अधिकारीणी नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार प्रार्थीया ने दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि मे किसी भी रूप मे 1/3 हिस्सा अथवा अन्य कोई हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि मे किसी भी रूप मे कोई हक व हिस्सा निहित नही रह होने से व प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नही होने से प्रार्थीया के हितो पर किसी भी रूप मे कोई विपरीत प्रभाव नही पड रहा है तथा न ही प्रार्थीया ऐसे किन्ही अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 8 मे वर्णित कथन जिस प्रकार प्रार्थीया ने दर्ज किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने अपनी माता अप्रार्थी सं. 1 जो कि ग्रामिण परिवेश की साधारण महिला है को लाछित करने के आशय से उस पर मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थीया

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया का लालन पालन भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी सन्तानो का पालन पोषण व उनकी शिक्षा दीक्षा व परिवार की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अपने नाम दर्ज चक 23 जे आर के की भूमि जरिये पंजीकृत बेचनामा श्रीमति रानी देवी को विक्रय की है। प्रार्थीया एक चतुर महिला है जो अप्रार्थी सं. 1 की आड मे मुझ अप्रार्थी सं. 2 जो कि चक 33 एल एल डब्ल्यू की भूमि की रिकार्डड खातेदार है को अपने हिस्सा की भूमि का उपयोग व उपभोग करने मे व्यवधान पैदा करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया मुझ अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया के पक्ष किसी भी रूप मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू नही है बल्कि इसके विपरीत यदि मुझ अप्रार्थी सं. 2 जो कि प्रश्नगत भूमि की रिकार्डड खातेदार है व अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज भूमि उसको उसके पिता से विरासतन प्राप्त हुई है के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी किये जाने से अप्रार्थी सं. 2 प्रश्नगत भूमि मे अपने हिस्से की भूमि का मनचाहा उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो जावेगी जिसकी किसी भी रूप मे पूर्ति की जानी सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया किसी भी प्रकार को कोई स्थगन आदेश मुझ अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिन किसी आधार के महज मुझ अप्रार्थी सं. 2 को तंग व परेशान करने के दूर्भावनापूर्वक आशय से पेश किया गया होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मुझ अप्रार्थी सं. 2 की हद तक अस्वीकार कर खारिज किये जाने की कृपा की जावे।

जवाब उभय पक्ष प्रस्तुत होने पर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा का जो भाई अनमोल व बहन रेखा के नाम दर्ज था उक्त दोनो चको में दर्ज हिस्सा का हक त्याग दिनांक 22.08.2024 को अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पक्ष में जरिये पंजीयन दस्तावेज दस्तबरदारी के हक त्याग करवा लिया एवं अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को बेचने की फिराक में है उक्त प्रश्नगत रकबा में प्रार्थीया का हिक्क हिस्सा निहित है इसलिए प्रार्थीया को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला निरंतर की जावे। अपने तथ्यों की पुष्टी हेतु अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए है–

1. आरआरटी 2014 पेज संख्या 511

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत भूमि मे जरिये दस्तबरदारी अपने हक व हिस्से का त्याग कर दिया गया होने से प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि मे किसी रूप मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा होने से व प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भाग पर अधिपत्य नही रहा होने से प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि मे कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र खारिज हेतु कथन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सुशीला देवी को जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.08.24 को अनमोल एवं रेखा के द्वारा दिया गया है जिसके बाद दिनांक 17.12.24 से दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रार्थीया स्वयम् द्वारा भी अपनी माता के नाम दस्तबरदारी दिनांक 17.12.24 को की गई है जिसके दस्तावेज अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए है।

बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त खाते के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और अपने हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थीया सं. 1 निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है इस लिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मय अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 18/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड सहायक कलक्टर
पीलीबंगा